(383)

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक: 20 SEP 2013

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर विभागीय समसंख्यक भूमि आवंटन नीति दिनांक 19.4.2011 के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एप्पादर्ड समिति की दसवीं बैठक दिनांक 11.9.2013 में लिए गए निर्णयानुसार "दिनांक 19.4.2011 (आवंटन नीति जारी होने की दिनांक) के पश्चात् विभिन्न समाजों को छात्रावास, सामुदायिक भवनों आदि के लिए किये गये आवंटनों की कीमत 3 वर्षों में किश्तों में जमा कराये जाने की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। किश्तों के बारे में मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक का निर्णय लिए जाने का अधिकार स्थानीय निकाय के स्तर पर किया जा सकेगा। इस अवधि में इन संस्थाओं से ब्याज व पैनल्टी भी नहीं ली जावेगी।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
8. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
12. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)।
13. रक्षित पत्रावली।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(170)